

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 22 फरवरी, 2016

संख्या-1/पी0-1001/2016 -सा0प्र0-2717/श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0(2000), कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-रु.37,400-67,000+ग्रेड पे-10,000/-) में प्रोन्नति दी जाती है।

2. श्री श्रीवास्तव अगले आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. श्री श्रीवास्तव को विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त भी किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2016 -सा0प्र0-2718/श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (2000), कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-महानिदेशक, अभियोजन/प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान(सचिव ग्रेड-रु.37,400-67,000+ग्रेड पे-10,000/-) में प्रोन्नति देते हुए सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मीणा अगले आदेश तक सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. श्री मीणा को प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना और महानिदेशक, अभियोजन, पटना के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त भी किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/2/2016
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-1/पी0-1001/2016 -सा0प्र0- 2718 /पटना-15, दिनांक: 22 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित सभी विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी पदाधिकारी/ अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0(2000), कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के गैर-संवर्गीय पदों को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-9(अनुसूची-II) के तहत सचिव स्तर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।
3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

वसुधा
22/2/2016
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।